(73)

समक्ष मे - माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

= =

विनोद भार्गव अभिभाषक R 4253 - 16 सन-2016

द्वारा आज दि. 19-12-16 को पुनरीक्षण क्रमांक--

प्रस्तुत

अजित कुमार जैन पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द्र जैन

19/12/16 नि0 ग्राम बगौता हाल वृषनाथ मंदिर के पास

छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 ----निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन

2. राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर

3. पटवारी हलका बगौता तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. ---गैरनिगरानीकर्ता/ अनावेदकगण

821
19-12-16

पुनरीक्षण विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के आदेशानुसार जो सीमांकन की कार्यवाही गोपनीय रूप से की गयी । म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन ----------------------------

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
19-12-16

श्रीमान् ,

आवेदक/निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निवेदन, प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि आवेदक का संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा क्रमांक- 1846/4 से लगी हुयी आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक- 1846/3 एवं 1846/5 एवं 1846/6 है तथा भूमि खसरा क्रमांक- 1846/4 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निर्णीत रिटपिटीशन क्रमांक - 822/2014 जिसमे आवेदक / याचिकाकर्ता तथा प्रधान सचिव राजस्व विभाग अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर एवं कलेक्टर महोदय छतरपुर प्रतियाची गण के रूप मे संयोजित थे, में पारित आदेश दिनांक- 24.1.2014 के द्वारा राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था । परिणामस्व-रूप भूमि खसरा क्रमांक- 1846/4 स्थित ग्राम बगौता रा. नि. मं. छतरपुर तहसील छतरपुर जिला छतरपुर के संबंध मे आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी जो क्रमांक- निगरानी00 आर- 1281/I/15 के रूप दर्ज की गयी जो दिनांक 26.7.2016 को स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4253-एक/2016 जिला छतरपुर अजीतकुमार विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018 27.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक अजीत कुमार की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव एवं शासकीय अभिभाषक श्री आशीष सारस्वत उपस्थित । उभय पक्ष को सुना गया । 3. प्रकरण की स्थिति इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा दिनांक 19-12-2016 को आवेदन देकर अवगत कराया कि ग्राम बगौता तहसील छतरपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1846/4 से लगी भूमि खसरा क्रमांक 1846/3, 1846/5 एवं 1846/6 उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है । ग्राम बगौता की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1846/4 रकवा 0.866 हे. भूमि पर आवेदक के पिता का पूर्व से कब्जा चला आ रहा था । जिसका आबंटन करने हेतु उनके द्वारा कलेक्टर,छतरपुर आवेदन दिया गया था, जिसे कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया गया था । अपर आयुक्त के द्वारा भी कलेक्टर के निरस्ती आदेश को कायम रखा गया था, जिसके विरूद्ध राजस्व मंडल में निगरानी की गयी । राजस्व मंडल ने प्रकरण क्रमांक निगरानी-1281-एक/2015 जिला छतरपुर में पारित आदेश दिनांक 26-07-2016 से निगरानी स्वीकार की जाकर भूमि बंटन आवेदक के पक्ष में किया जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 29-09-2012 एवं कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 26-07-2011 को निरस्त किया गया था । 4. निगरानी मेमों अनुसार उक्त भूमि पर आवेदक का नाम अंकित नहीं किया गया है एवं साथ में उक्त भूमि को शासकीय भूमि मानते हुए सीमांकन की कार्यवाही शासन के द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट निगरानीकर्ता को नहीं दी गई है । सीमांकन के दौरान निगरानीकर्ता के प्रतिनिधि के द्वारा भूमि को अपना बताते हुए आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । आवेदक के द्वारा इसी सीमांकन के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।	

5. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।

6. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।

27.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य